

प्रेषक,
नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष कार्याधिकारी,
राज्य योजना आयोग,
नियोजन विभाग।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 12 जनवरी, 2017

विषय: गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वर्ष 2016-17 हेतु आयोजनेत्तर (आवर्तक) सैलरी अनुदान की द्वितीय किश्त की धनराशि ₹0 58,00,000/- (₹0 अठ्ठावन लाख मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1294/ले0-91/2004, दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ नं0 5.11/2016 आर.आई.सी, दिनांक 17-10-2016 द्वारा संस्थान के वर्ष 2016-17 हेतु सैलरी अनुदान की द्वितीय किश्त की धनराशि ₹0 58,00,000/- (₹0 अठ्ठावन लाख मात्र) का आयोजनेत्तर (आवर्तक) स्वीकृत/अवमुक्त किया गया है। वर्तमान में आयोजनेत्तर मद में ₹0 1,20,23,000/- (रूपये एक करोड बीस लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि अवशेष है। अतः श्री राज्यपाल महोदय भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत/अवमुक्त किये गये केन्द्रांश की धनराशि के समतुल्य ₹0 58,00,000/- (रूपये अठ्ठावन लाख मात्र) आयोजनेत्तर राज्यांश अनुदान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- अनुदान का भुगतान करने के लिए बिल आहरण हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा एवं उस पर अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक फाइल नं0-5.11/2016/आर.आई., दिनांक 28 सितम्बर, 2016 में निहित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 4- कोषागार में उतनी ही धनराशि समय-समय पर संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो, कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि की आवश्यकता का आंकलन/परीक्षण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मद में संस्थान के सम्बन्धित बैंक आदि खातों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर करते हुए यथा आवश्यक धनराशि के आहरण हेतु बिल प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 5- उपरोक्त अनुदान का कोई भी भाग ऊपर वर्णित मदों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। अनुदान की आगामी किश्त की मांग के समय उपर्युक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6- इस अनुदान पर राजाज्ञा संख्या-ए-2364/दस-17/2(1)/67, दिनांक 20 जुलाई, 1971 के संलग्नक में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
- 7- उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत अनुदान के लेखे-जोखे पृथक से रखे जायेंगे तथा उनका निरीक्षण, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की इच्छा अनुसार किसी भी समय किया जा सकेगा तथा परीक्षण राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जब कभी वे चाहेंगे, किया जायेगा।
- 8- संस्थान को स्वीकृत उक्त अनुदान का उपभोग प्रमाण-पत्र संस्थान द्वारा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत भेजा जायेगा। आगामी किश्त की मांग के समय वित्तीय वर्ष 2015-16 के व्यय के आडिटेड ब्यौरों को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।
- 10- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-02/दस-2016, दिनांक 05 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-1/2017/2483(1)/35-3-2016.तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिटर प्लानिंग)कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
- 4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 7- अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ
- 8- सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,पोस्ट बाक्स नं0-10580, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली।
- 9- निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 11- नियोजन अनुभाग-1
- 12- गार्ड फाइल/स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष कार्याधिकारी।